फर्द अहकाम

करणा मोदी बनाम राजेश

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 53/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	01/05/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र O-7 R-11 पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा. पत्र दिनांक 13/5/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	13/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र O-7 R-11 के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/राजस्व रिकॉर्ड व प्रा.पत्र O-7 R-11, के जवाब प्रा.पत्र O-7 R-11 के तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वयं के तथाकथित/अलिखित उपहिस्से [illegible] विभाजन के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि प्रार्थी वादी के नाम अंकित नहीं है तथा स्थापित प्रावधानों अनुसार कोई अभिलिखित खातेदार काश्तकार द्वारा ही विभाजन का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी वादी द्वारा अभिलिखित खातेदार के रूप में अंकित ओकवाल स्टोन क्रेशिंग प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर पवन कुमार पुंगलिया को वाद में आवश्यक व प्रभावी पक्षकार के रूप में पक्षकार स्थापित नहीं किया गया है, ना ही स्वयं को नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किए जाने (घोषित किए जाने) का	

P.T.O.

फर्द अहकाम

करणा मोदी बनाम राजेश

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 53/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	13/05/24	कोई अनुतोष चाहा गया है। साथ ही प्रकरण के तथ्यों व राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उभयपक्षकारान द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है तथा कृषि भूमि पर अकृषि/व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही है। जिससे अकृषि भूमि के रूप में उपयोगित भूमि के विभाजन के संदर्भ में कार्यवाही न्यायालय हाजा में विचारणीय नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र प्रार्थी प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी विधि द्वारा वर्जित होने से, पोषणीय नहीं होने के आधार पर आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:04:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्रीमती श्यामा राठौड, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 53/2023
निर्णय दिनांकः–13.05.2024

करूण मोदी पुत्र जयनारायण मोदी जरिये डायरेक्टर मोदी इन्फ्रा स्टोन प्रा. लि. जाति महाजन निवासी प्लाट नं. 34 ए, श्री राम नगर कॉलोनी, सिविल लाईन जयपुर।

अप्रार्थी/वादी

बनाम

1. राजेश शर्मा पुत्र रतन लाल जरिये पार्टनर मैसर्स शर्मा स्टोन केसिंग कम्पनी बिलौची पता ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जयपुर।

प्रार्थी/प्रतिवादी

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय

प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि अप्रार्थी/वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में स्वयं (कम्पनी) का 3/4 हिस्सा तथा मिन प्रार्थी प्रतिवादी (कम्पनी) का 1/4 हिस्सा निहित होना अभिकथन करते हुए विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है तथा यह भी अभिकथन किया गया है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त विवादित आराजीयात ओसवाल स्टोन केशर प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर पवन कुमार पुंगलिया के नाम दर्ज है जो कि कम्पनी अधिनियम के तहत वादी (कम्पनी) के नाम हस्तान्तरित कर दी गई है। लेकिन वर्तमान में वादी (कम्पनी) का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ। अप्रार्थी वादी के उक्त अभिवचन से यह स्पष्ट है कि वाद अधीन भूमि में वादी सहखातेदार, सहअभिधारी नहीं है फिर भी वादी (अप्रार्थी) द्वारा स्वयं को सहखातेदार अंकित कर वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि कानूनी प्रावधान राज. काश्त. अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) (1) के अन्तर्गत भूमि (कृषि भूमि) का विभाजन मात्र खातेदारों, सह अभिधारकों के मध्य ही किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में वादी हस्तगत वाद में अंकित भूमि का सहखातेदार, सहअभिधारी नहीं होने से विभाजन का वाद प्रस्तुत करने हेतु सक्षम नहीं है। उक्त विधिक प्रावधान के अन्तर्गत वादी द्वारा प्रस्तुत विभाजन का वाद पोषनीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि राजस्व अभिलेख में वादी सहखातेदार नहीं होकर मिन प्रार्थी प्रतिवादी के साथ ओसवाल स्टोन केसिंग प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर पवन कुमार पुंगलिया सहखातेदार सहअभिधारी है। इस प्रकार ओसवाल स्टोन केसिंग प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर पवन कुमार पंगोलिया सहखातेदार सहअभिधारी होने के कारण राज.काश्त. अधिनियम 1955 की धारा 53 (4) के कानूनी प्रावधान के तहत उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार होने से वाद के समुचित निस्तारण हेतु पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक है परन्तु वादी द्वारा वाद में आवश्यक पक्षकार को जानबूझकर संयोजित नहीं किये जाने के कारण वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:04:02 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि अप्रार्थी वादी द्वारा वाद पत्र के मद संख्या 8 के अन्तर्गत यह अभिवचन किया गया है कि '' दिनांक 20.07.

सहा० कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

2023 को वादी द्वारा प्रतिवादी 1 को राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन करवाने हेतु कहा गया तो प्रतिवादी संख्या 1 (प्रार्थी) द्वारा साफ इंकार कर दिया गया तथा बिना विभाजन करवाये ही भूमि के विशिष्ट भू भाग पर निर्माण कार्य करने व विक्रय करने की ऐलानियां धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न होने पर वादी द्वारा यह वाद पत्र विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। " इस प्रकार वादी के उक्त अभिवचनों से वाद पत्र में स्वयं को सहखातेदार होना अंकित कर दिनांक 20.07.2023 को वाद कारण उत्पन्न होना अंकित किया गया है। जबकि वाद अधीन भूमि में वादी जब सहखातेदार, सहअभिधारी ही नहीं है तो मिन प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा वादी को धमकी दिए जाने का कोई औचित्य/आधार ही नहीं है। अपितु वादी को वाद कारण उत्पन्न ही नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था में भी वाद वादी वाद कारण के अभाव में पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादी विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी वादीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया हैं कि अभिलिखित सहखातेदार कम्पनी ओसवाल स्टोन क्रेशर प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर पवन कुमार पुंगलिया द्वारा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत विवादित भूमि का 3/4 हिस्सा वादी कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। मात्र राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हुआ है। जिसका प्रार्थी प्रतिवादी के हिस्से अनुसार विभाजन होने पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है। जिससे विभाजन की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता है, ना ही असंयोजित व कुसंयोजित पक्षकारों के आधार पर विभाजन के वाद को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किया जा सकता है। तथा वाद कारण का निर्धारण वाद कारण का एक बंडल ऑफ फैक्ट होने से दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार ही किया जा सकता है। इस प्रकार के बिन्दू जबाव दावे के माध्यम से लिये जा सकते है। उक्त बिन्दू भी आदेश 7 नियम 11 की परिधि में नहीं आने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वयं के तथाकथित/उल्लेखित 3/4 हिस्से अनुसार विभाजन के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है. जबकि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि अप्रार्थी वादी के नाम अंकित नहीं है। स्थापित प्रावधानों अनुसार अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार द्वारा ही विभाजन का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी वादी द्वारा अभिलिखित सहखातेदार के रूप में अंकित ओसवाल स्टोन क्रेसिंग प्राइवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर पवन कुमार पूंगलिया को वाद में आवश्यक व प्रभावी पक्षकार के रूप में पक्षकार स्थापित नहीं किया गया है, ना ही स्वयं का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने (घोषित किये जान) का कोई अनुतोष से चाहा गया है। साथ ही प्रकरण के तथ्यों व राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उभयपक्षकारान द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है तथा कृषि भूमि पर अकृषि/ व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही है। जिससे अकृषि भूमि के रूप में उपयोगित भूमि के विभाजन के संदर्भ में कार्यवाही न्यायालय हाजा में विचारणीय नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी विधि द्वारा वर्जित होने से पोषणीय नहीं होने के आधार पर आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अंतर्गत खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:04:02 IST
Reason: SelfAttested

(श्यामा राठौड)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर